सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
अधिनियम–1995 एवं संशोधित अधिनियम 2020

छत्तीसगढ़ शासन

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

भगतसिंह चौक के पास, शंकर नगर रोड, रायपुर – 492001

फोन नं.– 0771–2445621

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

अधिनियम -1995 एवं संशोधित अधिनियम 2020

विषय-सूची

धाराएँ :

अध्याय 1- प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ ।

अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते।
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा।
7. रिक्तियों, आदि के कारण की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय 3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

9. आयोग के कृत्य।
10. आयोग की शक्तियाँ।

अध्ययन 4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
12. लेखे तथा संपरीक्षा।
13. वार्षिक रिपोर्ट।
14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
16. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।
17. नियम बनाने की शक्ति।
18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
19. व्यावृत्ति।

डाग-व्यय की पूर्व अदायगी
के लेखा डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत, अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक -216 रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2002-भाद्र 11, शक 1924

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी 4490/479/2002/ आजावि. इस विभाग की अधिसूचना डी अधिसूचना क्रमांक डी-4226/479/47/2002/ आजावि. दिनांक 16 अगस्त, 2002 को अतिष्ठित करते हुये, एवं मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है।

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत होगी।

2. समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियाँ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवस्थित पूर्व माध्यमिक राज्य में थी, एतद् द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएँ। उपान्तरणों के अध्ययीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहाँ कहीं भी आए हो, के स्थान पर शब्द छत्तीसगढ़ एवं शब्द भोपाल जहाँ कहीं भी आए हों के स्थान पर शब्द रायपुर स्थापित किए जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों का नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995
2.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1997
3.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995
4.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तो की नियम, 1997
5.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999
6.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2000
7.	वक्फ अधिनियम, 1995
8.	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1995
9.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996
10.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए.के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक डी-4491/479/2002/ आजावि.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-4490/479/2002/ आजावि, दिनांक 2 सितम्बर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए.के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई दिनांक 30-05-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589) **रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020- आश्विन 23, शक 1942**

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग./20- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

अध्याय 1- प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) आयोग से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ख) सदस्य से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं)। की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड

(क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात्-

(क) ''छः अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष(चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।''

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते

4. (1) ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''

(2) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है।

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है।

(3) परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्त को नया नाम निर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंदी निबंधन तथा शर्ते ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्ति करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों

की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्णता पालन के लिये आवश्यक है।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्ते ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगा

7. आयोग का कोई या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह –

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जायें।

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्ध कर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी अर्थात्–

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय 4– वित्त, लेखा संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितना राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि के उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

लेखे और संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समझ रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5- प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं.45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगें।

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्।

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंध तथा शर्तें।

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) की अधीन वह प्रारूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(ग) धारा 13 के अधीन वह प्रारूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भुत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृति

19. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाही या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21–अ/ प्रारु./छ.ग. 20–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15–10–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रादिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 OF 2020)

The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First year of the Republic of India as follows :

Chapter I - Preliminary

Short tile Extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In The Act, Unless the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Constituted under section 3.

(b) “Member” means a member of the Commission and includes the chairperson.

(c) “Scheduled Tribes” means such tribes, tribal communities or parts of, or groups within such tribes or tribal communities specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under article 342 of the Constitution or India.

Chapter II - The State Commission for Anusuchit Janjati

Constitution of State Commission for Anusuchit Janjati

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Chhattisgarh Rajay anusuchit Janjati Ayog to excercise the power conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following members :-

(a) “Six non official members who have special knowledge in the matters relating to

Scheduled Tribes of whom one shall be the chairperson and one shall be the vice chairperson to be appointed by the State Government :

Provided that at least four members including the Chairperson and vice Chairperson, Shall be from amongst the Scheduled Tribes."

(b) Commissoner, Tribal Development, Chhattisgarh

Term of office and conditions of Service of Chairperson and Members

4. (1) "The Chirperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the state Government."

(2) A member may, be writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or as the case may be, of member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person.

(a) becomes an undischarged insolvent.

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the state Government, involves moral turpitude,

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competen court.

(d) refuses to act or become incapable of acting.

(e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meeting of the Commission, or.

(f) has in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson of Member as to render his continuance in office detrimental to the interests of Scheduled Tribes or the public interest.

Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been' given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomiation and the person so nominated shall hold office for the remainder term of his predecessor.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

4. (1) The State Government shall a Secretary of the Commission and provided the Commission with such other officers and employees and may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to the paid out a grant.

6. The salaries and allowances payable to the chairperson and members and the administrative expenses including salaries, allowance and pensions payable to the Secreatary, officers and other emplyees referred to in Section 5 shall be paid out to the grants referred to in sub-section (1) of Section 11.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act pre proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

Chapter III-Functions and Powers of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) It shall be function of the Commission-

(a) to act as watch-dog Commission for the protection afforded to the members of the Scheduled Tribes under the Constitution and under any other law for the time being in force,

(b) to recommend to the state Government to take steps to add particular tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

(c) to watch the proper and timely inplementation of programmes meant for welfare of Scheduled Tribes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any other body or authority responsible for such programmes.

(d) to tender advice regarding reservation for Schelduled Tribes in public services and admission in educational institutions.

(e) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State Government, where, howener, the Government does not accept the advice, it shall record its reason there for.

Power of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (I) of Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the state and examining him on oath.

(b) requiring the discovery and production of any document.

(c) Receiveing evidence on affidavits,

(d) requisitioning any public record or copy there of from any court of office.

(e) issuing commission for the examination of witness and documents and.

(f) any other matter which may be prescribed.

Chapter IV - Finance, Accounts and audit

Grants by the State Government

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub section (1)

Accounts and audit

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and perpare an annual statement of accounts in such from as may be prescribed by the State Governement.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of Chhattisgarh at such intervals as may be specified by hima nd any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

Anual Report

13. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed its annual report, giving a full accounts of its activities during the previus financial year and forward a copy there of the State Government.

Annual report and audit report to be laid before the Lagislative Assembly-

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reason for the non-acceptance, if any of any such adivce, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before the legislative Assembly.

Chapter V- Miscellaneous

Chairperson, Member, Officers and employees of the Commission to be publich Servants.

15. The Chairperon, Members, Officers and employees of the Commission shall be deeemed to be public servants within the meaning of Sections 21 of the indian pernal code, 1860 (45 of 1860)

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following maters, namely "-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of Section 4 and the

Secretary, officers and other employees under-sub-section (2) of Section 5,

(b) the form in which the annual statement of accounts sriall be prepared under sub section (1) of Section 12 :

(c) the form in and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 13.

(d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may after it is made on the table of the Lagislative Assembley.

Power to remover difficulties.

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to is to be necessary or expendient for removing difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid on the table of the Lagislative Assembly.

Saving

19. Notwithstanding the repeal of the chhattisgarh Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Tatha Pichhada Varg Adhiniyam, 1983, 1983 (No. 34 of 1983) anything done or any action taken in respect of Scheduled Tribes by the Commission constiuted under the said respect of Scheduled Tribes by the Commission constituted under the said repealad Act or by the State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of thi act.

प्रारूप नियम

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 1997

क्र. एफ. 23-35-95- पच्चीस-5- मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्था-

नियम

1. संक्षिप्त नाम-इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग नियम, 1997 है।
2. परिभाषायें - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।
   (क) अधिनियम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995)
   (ख) सम्मिलन से अभिप्रेत है आयोग का या आयोग की समिति का सम्मिलन तथा उसमें अन्य सम्मिलन भी सम्मिलित होंगे जिनमें आयोग के सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है।
   (ग) निवास स्थान से अभिप्रेत है वह स्थान जहाम आयोग से संबंधित व्यक्ति प्राय: निवास करता है।
   (घ) धारा अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।
3. आयोग का कार्यालय - आयोग का कार्यालय भोपाल में होगा।
4. वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें के अनुसार प्राप्त होगी।
5. सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता-आयोग के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रायोजनों के लिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
6. आयोग से सहयुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता-आयोग को सलाह एवं सहायता देने के लिए आयोग के साथ सहयुक्त व्यक्ति अपने निवास स्थान से, यथास्थिति सम्मिलन के स्थान तक या आयोग के कार्यालय तक तथा वापसी के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
7. आयोग का मुख्य कार्यापालक अधिकारी - आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में मुख्य कार्यपालाक अधिकारी होगा तथा आयोग के समस्त अन्य अधिकारी उसके अधीनस्थ होकर राज्य सरकार के नियमों से शासित होंगे।
8. वार्षिक रिपोर्ट-आयोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए संरक्षण के बारे में अन्वेषण करेगा तथा राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों पर परिशिष्ट ख में दिए गये प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन भेजागा। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
9. लेखाओं का वार्षिक विवरण-आयोग लेखाओं का एक वार्षिक विवरण परिशिष्ट ग में दिए गए प्रारूप में सरकार को प्रस्तुत करेगा। यह विवरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा।

परिशिष्ट (ख)

(कृपया नियम 8 देखिए)

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

वित्तीय वर्ष .... की वार्षिक रिपोर्ट

1. आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा एवं कृत्य।
2. आयोग की बैठकें।
3. अनुसूचित जनजातियों को संविधान एवं अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में आयोग द्वारा किए गए कार्यो का विवरण।
4. जनजातियों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिए आयोग की सिफारिशें।
5. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चल रहे कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा एवं सिफारिशें
6. लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह।
7. आयोग को प्राप्त शिकायतें।
8. आयोग का अध्ययन दौरा।
9. आयोग की समस्याएँ।
10. अन्य।

परिशिष्ट (ग)

(कृपया नियम 9 देखिए)

अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक लेखे का विवरण

वित्तीय वर्ष ....

मद का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
अधिकारियों का वेतन		
कर्मचारियों का वेतन		
महंगाई भत्ता		
अंतरिम राहत		
अन्य भत्ते		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता		

मद का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
त्यौहार अग्रिम (नेट) वास्तविक)		
अनाज अग्रिम (नेट) वास्तविक		
योग वेतन		
मजदूरी		
यात्रा व्यय		
कार्यालय व्यय		
डाक एवं तार		
दूरभाष		
फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण		
वर्दियां		
पुस्तकें/पत्रिकायें		
बिजली एवं जल प्रभार		
लेखन सामग्री		
अन्य आकस्मिक व्यय		
योग कार्यालय व्यय		
विज्ञापन एवं प्रचार		
वाहन (1) मरम्मत		
(2) पेट्रोल/डीजल		
अन्य प्रभार		
कुल योग		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
धीरेन्द्र शर्मा, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 1997

क्र. एफ. 23–35–95 पच्चीस – 5– भारत के संविधान के अनुच्छेद 384 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग समसंख्या अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर 1997 अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
धीरेन्द्र शर्मा, अपर सचिव

Bhopal, the 28th October 1997

No. F. 23-35-95 XXXV-5, In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Adhiniyam, 1995 (No.24 of 1995) the State Government here by makes the following rules, namely.

RULE

1. **Short title :-** There rules may be called the Madhya Pradesh Anusuchit Jan Jati Ayog Niyam, 1997.

2. **Definations :-** In these rule, unless the context otherwise requires.

   (a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).

   (b) "Meeting" means the meeting of Ayog or of a committee of the Ayog and includes other meeting where in the attendance of the members of Ayog is expected.

   (c) "Place of residence" means the place where the member connected with Ayog generally resides.

   (d) "Section means section of the Adhiniyam.

3. **Office of the Ayog :-** The office of the Ayog shall be at Bhopal.

4. Salary, allowance and other facilities :- The chairperson of Ayog and members shall get such salary, allowances and other facilities as shown in Annexure 'A'

5. **Salary allowance and other facilities :-** The Chairperson of the ayog and members shall be eligible to draw travelling Allowance, Daily Allowance as shown in Annexure "A" for the purpose of attending the meeting of the Ayog.

   Provided that a member who is already in the service of the State Government and is holding the post of members in ex-officio capacity shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance as admissible to him in the government service.

6. **Travelling allowance and Daily Allowance to the person associated with Ayog :-** A person associated with the Ayog for rendering advice and assistance to Ayog shall be entitled to draw travelling all owance and daily allowance at a rate admissible to the officers of grade "a" of the Government for the journeys performed by him, as the case may be, from his place of residence to please of meeting or office of the Ayog and back.

7. **The Chief Executive Officer of the Ayog :** The Secretary of the Ayog shall be the

Annexture

"B" (Sec rule 8)

Draftof Annual Report of Rajya Anusuchit JanJati Ayog

Annual Report for the year.....

1. Constitution of the Ayog, Orgaisational structures and functions.
2. Meeting of the Ayog.
3. Details of the work done by the Ayog as a watch-dog for the protection granted to the members of Schedule Tribes under the Constitution and other laws.
4. Recommendation of the Ayog for inclusion of tribes in Constitution (Scheduled Tribes) Orders 1950.
5. Scrutiny of and recommendation regarding the programmes being conducted for the welfare of the Scheduled Tribes.,/>
6. Advice regarding reservation for Scheduled Tribes in public services and admission in educational institution.
7. Complaints received by the Ayog.
8. Study tour of Ayog.
9. Problem of Ayog.
10. Other.

Annexure "C"

(See rule 9)

Statement of Annual Accounts of the Anusuchit Jan Jati Ayog

Financial Year.....

Name of the item	**Budget Allotment**	**Annual Expenditure**
(1)	(2)	(3)
Salary of Officers		

Salary of employees.
Dearness Allowance
Interim Relief
Other Allowances.
Medical Reimbursement.
Allowance.
Festival Advance (net)
Gran Advance (net)
Total Salaries.
Wages.
Travelling Expenses.
Office Expenses.
Post and telegraph.
Telephone.
Furniture and Office equipments
Library.
Books and Periodicals
Electricity and Water charges.
Stationery
Other contingent expenses.
Total of office expenses.
Advertisement and propaganda.
Vehicle (I)Repairs
(ii) Diesel/Petrol
Other charges. Grand total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

Dhirendra Sharma, Addi, Secy.

आकस्मिकता योजना नियम 1995

छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकात योजना नियम, 1995 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा।

(3) ये नियम 1 मार्च 1996 से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

इन नियमों में संदर्भित परिभाषाएं निम्नांकित होंगे -

(1) राज्य शासन से आशय छत्तीसगढ़ शासन से है।

(2) कलेक्टर या दण्डाधिकारी से आशय छत्तीसगढ़ के यता उल्लेखित जिले के कलेक्टर या जिला दण्डाधिकारी से है।

(3) अनुसूचित जाति से आशय संविधान के अनुच्छेद 341 में इस राज्य के लिये परिभाषित अनुसूचित जाति से है।

(4) आदिवासी या अनुसूचित जनजाति से आशय संविधान के अनुच्छेद 341 में इस राज्य के लिये परिभाषित अनुसूचित जनजाति से है।

(5) अधिनियम से आशय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (1989 का 33) से है।

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से अभिप्राय गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार को शारीरिक या सांपत्तिक अथवा दोनों प्रकार की हानि पहुंचाने, अपमानित करने, मानसिक पीड़ा पहुंचाने तथा अधिनियम की धारा 3 में दर्शाई गई घटना से है, जो पुलिस थाने में दर्ज हो। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को हानि पहुंचने की घटनाएँ इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न नहीं मानी जाएंगी।

(7) राहत से अभिप्राय नियम के अधीन अधिकार द्वारा जरूरतमंद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अथवा अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजाति परिवार के लिये स्वीकृत नगद, आर्थिक सहायता से है, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मानी जावेगी। और यह अधिकार के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

(8) आश्रित में इसके व्याकरणिक रूपबेद और सजातीय पदों के साथ पत्नी, बालक चाहे विवाहित हो या अविवाहित, आश्रित माता-पिता, विधवा बहन तथा अत्याचार के पीड़ित पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र, पुत्री सम्मिलित हैं।

(9) परिलक्षित क्षेत्र से ऐसा अभिप्रेत है, जहाँ राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वह अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है।

(10) गैर सरकरी संगठन से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन या दस्तावेजी या ऐसे संगटनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण संबंधी क्रियाकलापों से लगा कोई स्वेच्छिक संगठन अभिप्रेत है।

(11) अनुसूची से तात्पर्य इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची से है।

(12) नियम से आशय छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित विशेष प्रकोष्ठ से है।

(13) प्रकोष्ठ से तात्पर्य आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित विशेष प्रकोष्ठ से है।

(14) जिला अधिकारी से आशय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक है।

(15) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. उद्देश्य :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों को तुरंत सहायता व राहत पहुंचना है, जो सवर्ण वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीड़ित है एवं जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में है और जिन्हें तत्संबंधी जरूरत पूरी करने के लिये शासन की किसी योजना में अथवा अन्य किसी स्त्रोत से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो।

4. पात्रता :

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के निम्नांकित सदस्यों/परिवारों को इस नियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी :-

(1) गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के कारण शारीरिक या सांपत्तिक अथवा दोनों प्रकार की हानि उठाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार।

(2) गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति/परिवार।

(3) जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा (1) या 3 (2) के अंतर्गत उत्पीड़न किया हो.

(4) यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाय तो उस महिला के पति अथवा उत्तराधिकारी।

(5) गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा रोजगार से संबंधित उपकरण औजार, मशीनरी आदि नष्ट की गई हो।

5. अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार की सूचना :-

अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के साथ उत्पीड़न व अत्याचार की सूचना थाने में प्राप्त होते ही थाना प्रभारी घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक व जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी को भेजने के साथ-साथ एक प्रति जिला अधिकारी (सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक) आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को भी भेजेंगे। यदि घटना की सूचना/उत्पीड़न की शिकायत पुलिस अधीक्षक, जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी को प्राप्त होती है तो वे थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेंगे जो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। पुलिस अधीक्षक घटना/शिकायत की जांच हेतु किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को भी निर्देशित कर सकेंगे, जो अन्वेषण पश्चात् थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दे सकेंगे जो प्रतिवेदन की एक प्रति जिला दंडाधिकारी व सहायक आयुक्त /जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को भी देंगे।

6. स्थल निरीक्षण :

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार या उत्पीड़न की सूचना प्राप्त होते ही अनुविभागीय दंडाधिकारी या कलेक्टर के निर्देश पर कार्यपालिका दंडाधिकारी या अनुविभागीय पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अन्य राजपत्रित अधिकारी स्थल पर निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर :-

(1) राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुंब के सदस्यों और आश्रितों की सूची बनायेंगे ।

(2) अत्याचार पीड़ितों की संपत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

(3) पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध करने की कार्यवाही करेंगे।

अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिका दंडाधिकारी विस्तृत प्रतिवेदन राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुंब के सदस्यों व आश्रितों की सूची तत्काल जिला दंडाधिकारी को भेजते हुए एक प्रति सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7. राहत व सहायता :

जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल विभिन्न अत्याचारों के लिये पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार या आश्रितों को निम्नानुसार सहायता/राहत दी जायेगी। सहायता राशि जहां 10,000/- से अधिक है वहां आवश्यकतानुसार अधिकतम 10,000/- की राशि रूपये दी जायेगी तथा शेष राशि पोस्ट ऑफिस या बैंक की मासिक अथवा राशि फिक्स डिपाजिट में रखी जायेगी जो पीड़ित व्यक्ति के/मृतक के आश्रितों एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से ही आहरित होगी :-

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [(धारा 3 (1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रु. नब्बे हजार या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिये जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 1. 25 प्रतिशत जब आरोब-पत्र न्यायालय को भेजना जाए 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाए।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3 (1) (ii)]	
3.	अनादर सूचक कार्य [धारा 3 (1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि [धारा 3 91) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000/- या उससे अधिक भूमि/परिसर जल की आपूर्ति जहां आवश्यकता हो सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जायेगी जब आरोप पत्र न्यायालय भो भेजा जाए, पूरा भुगतान किया जाये।
5.	भूमि परिसर या जलसंबंधित [धारा 3 (1) (v)]	

(1)	(2)	(3)
6.	बेगार या बलाश्रम या बंधुवा मजदूरी [धारा 3 (1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम नब्बे हजार रु . प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध हो पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3 (1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को पचहत्तर हजार रु. जो अपराध की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर है।
8.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3 (1) (viii)]	रुपये नब्बे हजार या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [धारा 3 (1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3 (1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रु. तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष सिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3 (1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को रु. एक लाख अस्सी हजार चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये।
12.	महिला का लैगिंक शोषण [धारा 3 (1) (xii)]	
13.	पानी गन्दा करना [धारा 3 (1) (xiii)]	तीन लाख पचहत्तर हजार रु. तक जब पानी को गंदा कर दिया जाये तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए, भुगतान किया जाये।
14.	मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3 (1) (xiv)]	तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है यदि

(1)	(2)	(3)
		कोई हो, उसका पूरा प्रतिकार 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [धारा 3 (1) (xv)[	स्थल बहाल करना ठहराने का अधिकारी और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रु. का प्रतिकार तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निमाण यदि नष्ट किया गया हो, पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाये।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3 (2) (i) और (ii)]	कम से कम तीन लाख पचहत्तर हजार रु. या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकार 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा3 (2) (v)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम एक लाख अस्सी हजार रुपये यदि अनुसूची में विशिष्ट अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अंतर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3 (2) (viii)]	उसी प्रकार से प्रतिकार का भुगतान किया जाये, जिस प्रकार से यदि अभियुक्त लोक सेवक न हो।
19.	नि:शक्तता नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 01-06-2001 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्याक 154, समय	

(1)	(2)	(3)
	समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी। अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न हैं।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता :	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम तीन लाख पहचहत्तर हजार रु., 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्धहोने पर।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम सात लाख पचास हजार रु., 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच कर भुगतान किया गया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर। परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़िच को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपये से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपये से अन्यून रकम की कमी की जायेगी।
	(ख) जहाँ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	
20.	हत्या यीमृत्यु	प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पचहत्तर हजार रु.
	(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रु. 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुकतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाये :-

(1)	(2)	(3)
		(I) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और / या अन्य आश्रितों को चार हजार पांच सौ रुपये प्रति माह की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा। (II) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्च। बच्चों को आश्रम के विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाये। (III) तीन माह की अवधि तक के लिए बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22.	पूर्णतया नष्ट करना या जला हुआ मकान	जहाँ मकान को जला दिया गया है या नष्ट किया गया हो। वहाँ सरकार के खर्च पर ईंट–पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाये।

अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, भरण-पोषण और परिवहन सुविधाएँ :

1. **यात्रा भत्ता व परिवाहन सुविधाएँ :**

(अ) अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण स्थान तक का एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन से द्वितीय श्रेणी का आने जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस टैक्सी भाड़ा का भुगतान किया जाएगा।

(ब) ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अंवेषण, सुनवाई या विचारण स्थान तक का वास्तविक टैक्सी भाड़ा का भुगतान किया जाएगा।

(स) जिला दंडाधिकारी या अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा कोई अन्य कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर भी अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को और साक्षियों को उपरोक्त (अ) भाग में दर्शाए अनुसार भाड़े का भुगतान किया जाएगा।

(द) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक की नि:शक्त व्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा परिवार को भी इस नियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाये जाने पर शासकीय अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(2) **भरण-पोषण व्यय :-** साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर की अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान उसके आवास से दूर रहने के दिनों के लिये ऐसी दरों पर भरण-पोषण व्यय भुगतान किया जाएगा, जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि कृषि श्रमिकों के लिये नियम किया गया हो, कम नहीं होगा।

(3) **आहार व्यय :-** साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित और परिवार को दैनिक भरण-पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय भी ऐसी दरों पर दिया जाएगा जैसा कि कलेक्टर समय-समय पर नियत करें।

9. चिकित्सा सुविधा :

अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया हो, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिये आवश्यकतानुसार निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी :-

(1) **औषधियाँ : जो** औषधियाँ शासकीय औषधालय में उपलब्ध नहीं है, क्रय हेतु आवश्यक राशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(2) **विशेष परामर्श :** यदि स्थानीय शासकीय औषधालय में उपलब्ध चिकित्सकों/विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य किसी विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता हो तो उसका जो भी व्यय होगा, शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा। यदि कोई चिकित्सकीय शासकीय औषधालयों में उपलब्ध न हो तो अशासकीय/ चिकित्सालय नरसिंग होम, चिकित्सा केन्द्रों आदि में चिकित्सा/जांच परीक्षण आदि का व्यय शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) खून की व्यवस्था : यदि खून दिया जाना आवश्यक है व स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में खून उपलब्ध न हो और अन्य नर्सिंग होम/ब्लड बैंक से जहां भुगतान देकर खून मिल सकता है, ऐसे भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

4. वस्त्र, भोजन, फल एवं आवास सुविधा

(1) आवश्यकतानुसार वस्त्र प्रदाय किये जा सकेंगे।

(2) यदि भोजन हेतु भुगतान की आवश्यकता हो तो भोजन की राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति जो अस्पताल में भरती है, के सहायक को भी भरण पोषण व भोजन व्यय, जो कलेक्टर निर्धारित करेगा, भुगतान किया जायेगा।

(3) अस्पताल में भर्ती पीड़ित व्यक्ति के लिये चिकित्सक द्वारा दर्शाये गये आवश्यक फल, फलों का रस आदि का राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा।

(4) अस्पताल में भर्ती पीड़ित व्यक्ति के उपचार अवधि में देख-रेख हेतु साथ में गये व्यक्ति के लिये अस्पताल परिसर में निर्मित मरीजों सहायकों हेतु विश्राम गृहों में निवास हेतु निर्धारित किराया अथवा परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध न होने पर पास की धर्मशाला आदि में ठहरने हेतु आवश्यक राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा।

(5) अन्य आवश्यक मानव सुविधाएँ : उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक ,सुविधाएँ, जो मानव के लिये आवश्यक हों एवं जो कि चिकित्सक द्वारा अनुसंशिक हो तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो, भी शासन व्यय पर दी जा सकेगी।

10. पुनर्वास :

पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार, आश्रितों, मृतक के आश्रितों के पुनर्वास हेतु निम्न सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

(1) मासिक निर्वाह भत्ता :

(अ) अनुसूचित जाति और जनजाति का मृतक, यदि कमाने वाला है तो उसकी विधवा या एक आश्रित को 1,000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह तक निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। यदि विधवा आश्रित को नौकरी दे दी जाती है या किसी व्यवसाय में व्यवसाय में व्यवस्थापित कर दिया जाता है तब सेवा में नियुक्त होने/व्यवसाय हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की तिथि से निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जायेगा।

(ब) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य की फसल नष्ट कर दी गई तो अगली फसल आने तक या अधिनियम 6 माह तक 1,000/- निर्वाह भत्ते के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जायेगा। ताकि वह पुन: फसल उगा सके।

(स) यदि मकान जला दिया जाता है तो तीन माह की अवधि तक परिवार के भरण-पोषण हेतु चांवल, गेंहूँ आदि कलेक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा प्रति व्यक्ति अधिकतम 15 किलो दिया जायेगा, साथ ही बर्तन आदि दिये जायेंगे।

(द) उत्पीड़न के कारण कमाने वाले व्यक्ति की शत् प्रतिशत् स्थायी शारीरिक अक्षमता हो पर उपरोक्त (अ) एवं (ब) अनुसार सहायता परिवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) रोजगार : मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों में से किसी एक को तीन माह के अंदर शासकीय अथवा जिले के किसी अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक संस्थानों में योग्यता के आधार पर भृत्य, लिपिक या सहायक शिक्षक की नौकरी दी जायेगी। कलेक्टर जिले में ही नौकरी निर्धारित समयावधि में दी जाना सुनिश्चित करेंगे। विधवा को नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट दी जाकर नौकरी दी जायेगी।

(3) पेयजल : जहाँ पेयजल के स्त्रोत नहीं है वहां कलेक्टर द्वारा कम से कम एक पेयजल स्त्रोत की व्यवस्था की जावेगी।

(4) कृषि भूमि : यदि पीड़ित परिवार रोजगार का इच्छुक न हो और यदि मृतक/पीड़ित व्यक्ति का परिवार कृषक है एवं कृषि कार्य करना चाहता है और भूमिहीन है तो कलेक्टर 3 माह के अंदर कृषि भूमि की बंटन हेतु उपलब्धता पर भूमि आबंटित करने की व्यवस्था करेंगे। यदि आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो कम के कम दो एकड़ भूमि अधिकतम 5 अकड़ भूमि क्रय कर कलेक्टर द्वारा यथा संभव उपलब्ध करायी जावेगी।

(5) बच्चों की शिक्षा : - मृतक के 18 वर्ष से कम उम्र के पुत्र पुत्रियों को एक माहके अंदर छात्रावास/आश्रम में प्रवेश दिया जाकर उनकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने तक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे बालक बालिकाओं को 12 माह की अवधि के लिये शिष्यवृत्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर 500/- माध्यमिक स्तर पर 700/- हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्तर पर 1,000/- प्रतिवर्ष पहनने के कपड़े, जूते, पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं, स्टेशनरी आदि के लिये दिये जावेंगे।

(6) सामाजिक पुनर्वास :

(अ) यदि कोई बलात्कार से पीड़ित अविवाहित महिला से कोई युवक/व्यक्ति शादी करता है तो शादी का व्यय अधिकतम 5,000/- तथा युवक/युवती को स्वरोजगार हेतु 10,000/- की नगद सहायता व बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) यदि मृतक की पत्नी (विधवा) शादी करती है तो शादी का व्यय अधिकतम 5,000/- दिये जायेंगे।

(स) यदि माता -पिता दोनों की हत्या हो जाती है तो पुत्री एवं पुत्रियों के विवाह के लिये 10,000/- प्रत्येक पुत्री के लिये दिये जायेंगे, किन्तु पिता की हत्या होने पर केवल 5,000/- दिये जायेंगे।

(7) स्वरोजगार : पीड़ित व्यक्ति/परिवार/आश्रितों में से किसी एक को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अथवा छत्तीसगढ़ आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ऋण व अनुदान की सुविधा दी जाकर 3 माह में व्यवस्थापन किया जाएगा।

(8) विकलांग को कृत्रिम अंग हेतु सहायता : उत्पीड़न के कारण विकलांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग लगाने हेतु आवश्यक राशि सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) राहत व अन्य सुविधाओं की स्वीकृति :

(अ) राहत : राहत की स्वीकृति निम्न समिति की अनुशंसा पर की जाएगी –

(1) कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी : अध्यक्ष

(2) पुलिस अधीक्षक : सदस्य

(3) जिला अधिकारी : सदस्य सचिव

आ.जा. एवं अनु. जा. कल्याण

(सहायक आयुक्त/जिला संयोजक)

समिति की अनुशंसा पर रु. 25,000/– से अधिक की राहत कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी रूपये 25,000/– तक राहत आदिम एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा उपरोक्त समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति की जा सकेगी।

(ब) यात्रा भत्ता, परिवहन, भरण–पोषण, आहार व्यय, चिकित्सा सुविधा व मासिक निर्वाह भत्ता, शिक्षा व सामाजिक पुनर्वास आदि :

यदि व्यय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। जहाँ कलेक्टर द्वारा मात्रा/दर निर्धारण का उल्लेख है, वहां कलेक्टर द्वारा प्रति वर्ष दरें निर्धारित की जायेगी और उन्हीं दरों के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

मंडल संयोजक के पास रूपये 1,000/– की राशि स्थायी अग्रिम के रूप में रखी जायेगी, जो तत्काल सहायता हेतु नियम 8 व 9 में दर्शायी सुविधा हेतु व्यय करेंगे। तथा जिला अधिकारी को व्यय व्हाउचर प्रस्तुत कर राशि प्राप्त करेंगे, ताकि हर समय रु. 1,000/– उपलब्ध रहे।

(स) रोजगार, कृषि भूमि व स्वरोजगार : कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर स्वीकृत करेंगे।

(1) रोजगार : रोजगार की व्यवस्था आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में या अन्य विभाग में कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

(2) कृषि भूमि : कृषि भूमि राजस्व विभाग से कलेक्टर द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी.

(3) स्वरोजगार : स्वरोजगार हेतु कलेक्टर विभिन्न निकायों से व्यवस्था करवायेंगें।

(4) पेयजल : पेयजल की व्यवस्था हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से कलेक्टर स्वीकृत कर व्यवस्था करवायेंगे।

11. प्रचार–प्रसार व जनजागरण :

प्रचार–प्रसार व जनजागरण हेतु निम्न कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

(अ) जागृति केन्द्रों की स्थापना : ऐसे क्षेत्रों/पंचायतों के समूहों में, जहाँ पूर्व में उत्पीड़न हो चुका है, जिला

दंडाधिकारी द्वारा जागृत केन्द्र की स्थापना की जाएगी। जिसके लिये पंचायत और स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा व स्थानीय स्वयं सेवकों को भी प्रचार-प्रसार व जनजागरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ब) जनजागरण शिविरों का आयोजन : परिलक्षित क्षेत्रों व जहां भी जिला दंडाधिकारी आवश्यक समजे, जनजागरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे शिविरों के आयोजन हेतु जन सहयोग व स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकेगा। जनजागरण शिविरों के आयोजन का कार्य जागृति केन्द्रों को सौंपा जा सकता है। प्रत्येक शिविर के आयोजन हेतु आवश्यक राशि अधिकतम रुपये 5,000/- उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(स) अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी : परिलक्षित क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में कार्यशालाएँ आयोजित करने तथा जनजागरण हेतु अशासकीय संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अनुदान भी दिया जा सकेगा।

(द) शैक्षणिक संस्थाओं में वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएँ :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के संबंध में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों व उच्चतर माध्यमिक शालाओं प्रत्येक 2 अक्टूबर को वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएगी तथा विजेता व उपविजेता को निम्नानुसार पुरस्कार दिया जाएगा।

12. वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता -

(अ) महाविद्यालय :

1. प्रथम पुरस्कार 150/- 150/-
2. द्वितीय पुरस्कार 100/- 100/-
3. तृतीया पुरस्कार 50/- 50/-

(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर :

1. प्रथम पुरस्कार 100/- 100/-
2. द्वितीय पुरस्कार 75/- 75/-
3. तृतीय पुरस्कार 40/- 40/-

उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु 1,000/- प्रति प्रतियोगिता एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं का रूपये 750/- प्रति प्रतियोगिता के माम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

विश्व विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु रु. 5000/- की राशि दी जाएगी विश्व विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कार राशि रुपये 500/-, 300/- एवं 200/- होगी।

(य) संयुक्त खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ - परिलक्षित क्षेत्रों में सौहार्द्र भाव विकसित करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्ग के युवकों/युवतियों/महिलाओं के बीच संयुक्त खेल-कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में सभी वर्ग के व्यक्तियों

की भागीदारी अवश्य होगी। इस आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(फ) अन्य साधनों द्वारा प्रचार-प्रसार : जिला कलेक्टर द्वारा अन्य साधनों द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, साहित्य वितरण, हेंड बिल्स व पोस्टर छपवाकर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अंतर्गत रेडियों/टेलीविजन आदि द्वारा प्रचार भी किया जा सकेगा।

(ह) सेमीनार व विचार गोष्ठी : विश्वविद्यालय स्तर पर सेमीनार व सिम्पोजियम आयोजित किए जाएंगे एवं उसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

13. परिलक्षित में विकास कार्य :

परिलक्षित क्षेत्र, यहाँ पूर्व में उत्पीड़ित की घटनाएँ हो चुकी है, में संपर्क मार्ग, शालाएँ व प्रत्येक विभाग द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य तथा आयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

14. सतर्कता, सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति :

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 16 व 17 अंतर्गत गठित राज्य व जिला स्तरीय समिति, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित (आकस्मिकता योजना) नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी तथा समय-समय पर सलाह देगी।

इन समितियों के अतिरिक्त संभाग स्तर पर निम्न समिति आकस्मिकता योजना नियमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी तथा प्रत्येक माह शासन एवं प्रकोष्ठ को विवरण उपलब्ध कराए जाएगा :-

1.	संभागीय आयुक्त	:	अध्यक्ष
2.	उप-पुलिस महानिरीक्षक	:	सदस्य
3.	संभाग के कलेक्टर्स	:	सदस्य
4.	संभाग के पुलिस अधीक्षक	:	सदस्य
5.	संभाग के उपसंचालक लोक अभियोजन	:	सदस्य
6.	संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास	:	सदस्य सचिव

15. वार्षिक प्रतिवेदन :

इन नियमों के अंतर्गत वर्ष में किये गये कार्यों, उपलब्ध कराई गई सहायता आदि का पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर द्वारा 31 जनवरी तक विशेष प्रकोष्ठ संचालनालय, अनुसूचित जाति विकास को उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रतिवेदन कलेक्टर वर्ष के दौरान किये गये कार्यों से संबंधित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के
के लेखा डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत, अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-एम.पी.2
डब्ल्यू. पी./505/99

पंजीयन क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी.-122/99

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक-423)   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 जून 1999-ज्येष्ठ, शक 1921

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 1999

क्र. एफ. 23-23-95- पच्चीस-4 :- राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) नियम, 1995 के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) की राशि नगद रूप में दी जावेगी। तथा शेष राशि पोस्ट ऑफिस या बैंक की मासिक आय योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति/आश्रित के नाम रखी जावेगी। अथवा राशि फिक्स डिपोजिट में रकी जावेगी जो पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रितों एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से ही आहरित होगी।

में से ''पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रितों एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होगी।'' की शर्त को विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

व्ही.के. सिंह, उपसचिव